



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 अप्रैल, 2016

बैशाख 7, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 697/79-वि-1-16-1(क)1-2015

लखनऊ, 27 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 10 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)

(संशोधन) अधिनियम, 2015

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2016]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह 20 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 7
सन् 1986 की
धारा 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में उपखण्ड (पन्द्रह) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(सोलह) साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(सत्रह) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में भवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता;

(अट्ठारह) वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना;

(उन्नीस) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(बीस) जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना;

(इक्कीस) नकली दवाओं का उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्तर्ग्रस्त होना;

(बाईस) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला-बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना;

(तेईस) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिये गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना;

(चौबीस) आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(पच्चीस) राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना।”

निरसन और
अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 1,
सन् 2015

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1986) का अधिनियमन गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलापों को रोकने और उनका सामना करने के लिए किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा वाद संख्या 2390/2012 मुशर्रफ अली पुत्र शौकत अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अपने आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2013 में निम्नलिखित अपराधों को भी उक्त अधिनियम की परिधि में लाने और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये गये हैं :-

1-साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध;

2-गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में भवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता;

3-वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना;

4-विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध;

- 5-जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना;
- 6-नकली दवाओं का उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्तर्ग्रस्त होना;
- 7-आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला-बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना;
- 8-भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिए गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना;
- 9-आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध;
- 10-राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके शब्द "गिरोह" की परिभाषा में उक्त अपराधों को भी सम्मिलित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2015) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 697 (2)/LXXIX-V-1-16-1 (ka) 1-2015

Dated Lucknow, April 27, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Girohband Aur Samaj Virodhi Kriyakalap (Nivaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 10, 2016 :-

THE UTTAR PRADESH GANGSTERS AND ANTI-SOCIAL ACTIVITIES
(PREVENTION) (AMENDMENT) ACT, 2015

[U. P. Act No. 14 of 2016]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities
(Prevention) Act, 1986.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social
Activities (Prevention) (Amendment) Act, 2015.

Short title and
commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on January 20, 2015.

Amendment of
section 2 of U.P.
Act no. 7 of 1986

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (b) after sub-clause (xv) the following sub-clauses shall be inserted, namely :-

“(xvi) offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

(xvii) illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xviii) human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities;

(xix) offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966;

(xx) printing, transporting and circulating of fake Indian currency notes;

(xxi) involving in production, sale and distribution of spurious drugs;

(xxii) involving in manufacture, sale and transportation of arms and ammunition in contravention of sections 5, 7 and 12 of the Arms Act, 1959;

(xxiii) felling or killing for economic gains, smuggling of products in contravention of the Indian Forest Act, 1927 and the Wildlife Protection Act, 1972;

(xxiv) offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act, 1979;

(xxv) indulging in crimes that impact security of State, public order and even tempo of life.”

Repeal and
saying

3. (1) The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.

U.P. Ordinance
no. 1 of 2015

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Gangsters Act and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 (U.P. Act no. 7 of 1986) has been enacted to provide for making special provisions for the prevention of, and for copying with gangsters and anti-social activities in the State. The High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow has in case no. 2390/2012 Mushrraf Ali Son of Shaukat Ali versus Uttar Pradesh State in the order thereof dated January 8, 2013 suggested to bring the following offences in the ambit of the said Act and take action against the persons indulging in such offences under the said Act :-

1. offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

2. illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

3. human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities;

4. offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966;
5. printing, transporting and circulating of fake Indian currency notes;
6. involving in production, sale and distribution spurious drugs;
7. involving in manufacture, sale and transportation of arms and ammunition in contravention of sections 5, 7 and 12 of the Arms Act, 1959;
8. felling or killing for economic gains, smuggling of products in contravention of the Indian Forest Act, 1927 and the Wildlife Protection Act, 1972;
9. offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act, 1979;
10. indulging in crimes that impact security of State, public order and even tempo of life.

With a view to complying with the said orders of the Hon'ble High Court it has been decided to amend the said Act to include the said offences in the definition of the word "Gang".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) (Amendment) Ordinance, 2015 (U.P. Ordinance no. 1 of 2015) was promulgated by the Governor on January 20, 2015.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 55 राजपत्र-(हिन्दी)-2016-(114)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० विधायी-2016-(115)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।